तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
98 3/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस अन्तिम सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण की चरण संख्या 2 में अंकित भूमि प्रार्थी की खातेदारी में है व चरण संख्या 3 में दर्ज भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के सहारे की भूमि खसरा संख्या 855/497 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी है पर बोरिंग करवा रखा है व विद्युत कनेक्शन ले रखा है निरन्तर निर्बाध रूप से अप्रार्थी की जानकारी में काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी 1 की खातेदारी के समीप खसरा संख्या 894/497 प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जिस पर अप्रार्थी काबिज काश्त हैं, इस प्रकार खसरा संख्या 894/497 व 855/497 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज होकर विरूद्ध रूप से एक दूसरे के कब्जे काश्त में है। कब्जा विपरित होने से हमने कब्जे अनुसार भूमियों का विनिमय कर लिया है एवं विनिमय से व कब्जे से कानूनन खातेदार बन गए है। खसरा संख्या 855/497 की भूमि अधिक उपजाउ होने से अप्रार्थी के मन में बदनियती आ गई है व वह विवादित भूमियों को रहन, बैचान, अन्तरण करना चाहते है जिनहे पाबंद किया जावे। बाद मनन बहस विवादित भूमियों के संबंध में विनिमय व भूमि एक्सचेंज किये जाने व प्रार्थी का विवादित भूमि बाबत स्वत्व व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में निर्णय के दौरान किया जाना है। तब तक न्यायालय विवादित भूमि को संरक्षित रखना उचित समझता ताकि भविष्य में अनावश्यक वाद बाहुलता न हो। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में होने से व सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के हम में होने से एवं प्रार्थीगण अपूर्णीय क्षति होने की संभावना होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक :–29.07.2019 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की गई, अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कन्फर्म (Confirm) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौली	